पत्र संख्या–एन0/गृ0वि0आं–02–04/2016–410/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

फैक्स
निबंधित
ई-मेल

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 31/08/2016

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–0003–स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के अन्तर्गत निधि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जिलान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी/आश्रित पेंशनधारियों को 5000/–(पांच हजार) रूपये प्रतिमाह, प्रति सेनानी की दर से विशेष भत्ता के भुगतान हेतु **अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017** तक की राशि एवं पूर्व के बकाये राज्यांश के भुगतान हेतु कुछ जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में जिलों के नाम के सामने कॉलम–**5** एवं **6** में अंकित राशि के अनुसार कुल **10,53,74,774/– (दस करोड़ तिरपन लाख चौहत्तर हजार सात सौ चौहत्तर) रूपये मात्र** का आवंटन दिया जाता हैः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय पत्रांक–310 दिनांक–24.06.2016 के द्वारा विशेष भत्ता के भुगतान हेतु आवंटित राशि	बकाये राज्यांश राशि के भुगतान हेतु अधियाचित राशि का आवंटन	5000/– (पांच हजार) प्रति माह प्रति सेनानी को अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक के लिए आवंटित राशि	कुल राशि (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	दरभंगा	167	5010000		5010000	10020000
2.	मधुबनी	366	10980000		10980000	21960000
3.	समस्तीपुर	67	2010000		2010000	4020000
4.	छपरा	74	2220000		2220000	4440000
5.	सीवान	13	390000		390000	780000
6.	गोपालगंज	25	750000		750000	1500000
7.	गया	47	1410000	514000	1410000	3334000
8.	नवादा	25	750000		750000	1500000
9.	औरंगाबाद	17	510000		510000	1020000
10.	जहानाबाद	38	1140000		1140000	2280000
11.	अवरल	24	720000	638000	720000	2078000
12.	मुंगेर	161	4830000		4830000	9660000
13.	लखीसराय	25	750000		750000	1500000
14.	खगड़िया	92	2760000		2760000	5520000
15.	जमुई	21	630000		630000	1260000
16.	शेखपुरा	3	90000		90000	180000

P.T.O

17.	बेगुसराय	57	1710000		1710000	3420000
18.	भागलपुर	255	7650000		7650000	15300000
19.	बांका	120	3600000		3600000	7200000
20.	सहरसा	60	1800000		1800000	3600000
21.	मधेपुरा	35	1050000		1050000	2100000
22.	सुपौल	23	690000		690000	1380000
23.	मुजफ्फरपुर	90	2700000		2700000	5400000
24.	बेतिया	40	1200000	3168000	1200000	5568000
25.	मोतिहारी	83	2490000		2490000	4980000
26.	शिवहर	16	480000		480000	960000
27.	सीतामढ़ी	90	2700000		2700000	5400000
28.	वैशाली	95	2850000		2850000	5700000
29.	पूर्णियां	43	1290000	8774	1290000	2588774
30.	किशनगंज	2	60000		60000	120000
31.	कटिहार	38	1140000		1140000	2280000
32.	अररिया	22	660000		660000	1320000
33.	पटना	663	19890000		19890000	39780000
34.	बक्सर	19	570000		570000	1140000
35.	भोजपुर	287	8610000		8610000	17220000
36.	कैमूर	14	420000		420000	840000
37.	रोहतास	60	1800000		1800000	3600000
38.	नालंदा	88	2640000	96000	2640000	5376000
	कुलः–	3365	10,09,50,000	44,24,774	10,09,50,000	20,63,24,774
				(5+6)=10,53,74,774		

(दस करोड़ तिरपन लाख चौहत्तर हजार सात सौ चौहत्तर) रूपये मात्र

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष–0003–स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष–0401--पेंशन, मांग संख्या–22 तथा विपत्र कोड सं0–एन2235– 602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–2017 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0–2561, दिनांक– 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

(6) उक्त आवंटन से स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों को राज्यांश, उच्च न्यायालय से आच्छादित मामले एवं बकाये का भुगतान नियमानुसार किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाये आदि का भुगतान पूर्व में नहीं की गयी हो।

(7) उक्त आवंटन के अतिरिक्त यदि राशि की आवश्यकता हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

P.T.O

ज्ञापांक–.................................. पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–.. पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–.........4/10......................... पटना, दिनांक–..........31/08/2016..........................

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के प्रधान सचिव।

30.8.16